मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल–462004

/ /आदेश/ /

भोपाल दिनांक 15/03/2018

क्रमांक एफ 1-28/2018/20-1 डब्ल्यू.पी क्र. 5922 /2016 द्वारा श्री नीतेश शर्मा, अतिथि शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धामनोद जिला रतलाम एवं अन्य 104 अतिथि शिक्षक, विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में, माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.17 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है:–

" in view of submissions made by the learned counsel for the petitioner and as agreed to by them, the writ petition is disposed of with a direction that in case the petitioner submits a representation to respondent no.1 namely the principal secretary school education department Bhopal within a period of two weeks from the date of receipt of certified copy of the order passed today, the aforesaid authority shall look into the said representation and shall take a decision expeditiously preferably within a period of three months from the date of receipt of such a representation of the petitioner and shall pass a speaking order. It is made clear that this court has not expressed any opinion on the merits of the case"

Since the petitioners' case is said to be identical, therefore the present writ petition also disposed of on the same terms by holding that directions issued in the matter of Sanyukta Athithi Shikshak Sangh MP Vs. State of Madhya Pradesh (W.P.No. 7047/2015) will apply mutatis mutandis in the case of present petitioners also and petitioners will also be entitled to the benefit of aforesaid order.

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. क्रमांक 7047/2015 संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ म.प्र. में दिये गये आदेश दिनांक 14.05.2015 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक/1353/1278/2015/20-1 भोपाल दिनांक 05.08.2015 के द्वारा प्रकरण का निराकरण करते हुये पूर्व में स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग के आदेश क्रमांक 812/1243/2016/20-1 दिनांक 19.05.2016 के द्वारा एक अन्य प्रकरण

निरंतर...2

15 MAR 2018

का निराकरण करते हुये स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया गया है। आदेशों की छायाप्रतियां परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

3. प्रकरण में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है:-

3.1 विभाग द्वारा तत्समय जारी आदेश दिनांक 05.08.2015 में यह लेख किया गया है कि डब्ल्यू पी. क्रमांक 7047/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2015 के परिपालन में शासन द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 05.08.2015 ऐसे समरूप समस्त प्रकरणों पर भी लागू होगा।

3.2 शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों के संबंध में समेकित रूप से विचार कर संविदा शाला शिक्षकों की कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां उन अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित करने, जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य किया गया है, हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रकियाधीन है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अतिथि शिक्षकों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्षो तक के शिथिलीकरण हेतु भी प्रावधान किया जाना प्रकियाधीन है। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02.02.2018 की छायाप्रति परिशिष्ट दो पर संलग्न हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समरूप प्रकरण डब्ल्यू.पी क्र. 7047/2015 द्वारा श्री मनोज मिश्रा, के प्रकरण में शासनादेश दिनांक 05/08/2015 में वर्णित तथ्यों के आधार पर, इस प्रकरण डब्ल्यू.पी क्र. 5922/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15/02/2017 के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं का अभ्यावेदन नियमानुसार निराकरण किया जाकर अमान्य किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्पा कुलेश)
उप सचिव
म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर....3

क्रमांक एफ 1-28/2018/20-1/2018/20-1

प्रतिलिपि :

भोपाल दिनांक 15/03/2018

1. रजिस्ट्रार मान.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर म.प्र.।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित समस्त समान प्रकरणों में उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर द्वारा पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा डब्ल्यू पी. क्र. 7047/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2015 के तारतम्य मे जारी आदेश दिनांक 05.08.2015 के अनुसार कार्यवाही की जाकर निराकरण किया जावे एवं तदानुसार माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य संबंधितों को अवगत कराया जावे। यह निर्देश विभागीय आदेश क्रमांक 812/1243/2016/20-1 दिनांक 19.05.2016 द्वारा भी दिया गया है।
3. संचालक,राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल।
4 संचालक,व्यावसायिक परीक्षा मंडल म.प्र.चयन भवन,चिनार पार्क ईस्ट,भोपाल ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ इंदौर म.प्र.।
6. संबंधित श्री नीतेश शर्मा शासकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालय धामनौद जिला रतलाम।
7. श्री श्याम पाल सिंह राठौर शासकीय माध्यमिक शाला नागरा, जवाहर नगर जिला रतलाम।
8. श्री ललित कुमार प्रजापति शासकीय कन्या हाई स्कूल भरसोड भानपुर जिला मंदसौर
9. श्री विमल कुमार चौहान भानपुर जिला मंदसौर।
10. श्री दुर्गेश भट्ट डाबला माधौसिंह भानपुरा जिला मंदसौर।
11. श्री गगन वर्मा रामगंदिर मार्ग खातेगांव जिला देवास।
12. श्री राकेश खण्डेलवाल ग्राम कोठाडी पोस्ट भोही तहसील सतमास जिला देवास।
13. श्री अजय यादव 42 अहिल्या बाई मार्ग खातेगांव जिला देवास।
14. श्री अभिषेक शर्मा न्यू कुम्हार मोहल्ला वार्ड नंबर 3 खातेगांव जिला देवास।
15. श्रीमती अरूण बगेडिया न्यू लौहार घाटी भडेवारा बसार हथोड जिला इंदौर।
16. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही ।

अप सचिव
म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल-462023
दूरभाष 0755-2583650, 2583653, 2583659 फैक्स 0755-2583651
ई-मेलः dpividhya@gmail.com

पृ.क्रमांक : विद्या/पी/अतिथि शि./निर्देश/2018/1381

प्रतिलिपिः-

भोपाल, दिनांक 9-5-2018

1. उपसचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर ।

की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि दिए गए निर्देशों के अनुरूप अतिथि शिक्षक के समान प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।

(डी.एस.कुशवाह)
अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश